भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 5200
उत्तर देने की तारीख – 24/03/2026

एडीआईपी योजना

5200. श्री राहुल सिंह लोधी:
श्रीमती कृति देवी देबबर्मन :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीदी/फिटिंग के लिए सहायता (एडीआईपी) योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेष आवश्यकता वाले और दिव्यांग बच्चों के कल्याण के लिए देश में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है ओर विगत तीन वर्षों के दौरान आयोजित वितरण शिविरों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(घ) विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान एडीआईपी योजना के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है; और
(ङ) लाभार्थियों को सहायक यंत्रों और उपकरणों का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क), (ग), (घ) और (ङ): 'दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता (एडिप)' योजना पात्र दिव्यांगजनों को उनकी गतिशीलता, आत्मनिर्भरता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान करती है। इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता में वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक और मानकीकृत सहायक यंत्रों और उपकरणों जैसे कृत्रिम अंग और ऑर्थोटिक उपकरण, व्हीलचेयर, तिपहिया, श्रवण यंत्र, स्मार्ट केन, ब्रेल किट, निम्न दृष्टि वाले सहायक यंत्र, और अन्य सहायक उपकरण का प्रावधान शामिल है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, एडिप योजना के तहत आयोजित वितरण शिविरों की राज्य-वार संख्या के साथ-साथ लाभार्थियों की कुल संख्या का विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एडिप योजना के लिए आवंटित बजट का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	**बजट आवंटन (रुपये करोड़ में)**
2022-23	230.00
2023-24	305.00
2024-25	350.00

एडिप योजना के तहत लाभार्थियों को सहायक यंत्रों और उपकरणों का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

1. प्रधानमंत्री दिव्याशा-वयोश्री केंद्र (पीएमडी-वीके) स्थापित किए गए हैं और ये 'वन-स्टॉप वॉक-इन सेंटर' (एकल सेवा केंद्र) के रूप में कार्य करते हैं, जो सहायक यंत्रों/उपकरणों और पुनर्वास सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं। वर्तमान में, देश भर में 100 प्रधानमंत्री दिव्याशा-वयोश्री केंद्र कार्यात्मक हैं।
2. विभाग के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई), भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), लाभार्थियों तक अधिकतम पहुंच और शिविरों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित जिला प्रशासनों के समन्वय में जिला स्तरीय मूल्यांकन और वितरण शिविर आयोजित करता है।
3. दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) डेटाबेस के साथ एपीआई एकीकरण के माध्यम से योजना तैयार करने को और लाभार्थियों की पहचान को और अधिक सुव्यवस्थित बनाया गया है।
4. कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता अनुदान (जीआईए) जारी करने हेतु धनराशि के त्वरित संवितरण को सुगम्य बनाने के लिए राज्य सरकार की सिफारिश की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।
5. दोहराव (डुप्लीकेशन) को रोकने के लिए लाभार्थियों के डेटा और उपकरण वितरण गतिविधियों की रियल-टाइम निगरानी अब एलिम्को द्वारा अनुरक्षित अर्जुन पोर्टल के माध्यम से की जाती है।
6. सितंबर 2024 में एडिप योजना का सरलीकरण किया गया, जिसमें आय के मानदंडों के लिए स्व-प्रमाणन की शुरुआत करके इसे उपयोगकर्ता के अनुकूल और लाभार्थी-केंद्रित बनाया गया है।
7. इस योजना के तहत प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी, एलिम्को, अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों में, मोबाइल-वैन-आधारित सेवाएँ भी संचालित करती है।

(ख): विभाग दिव्यांगजनों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के कल्याण, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित योजनाओं को भी कार्यान्वित करता है:

(i) **सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता की योजना (एडिप):** इस योजना के तहत, पात्र दिव्यांगजन को टिकाऊ, उच्च गुणवत्ता वाले, वैज्ञानिक रूप से निर्मित और आधुनिक मानक सहायक यंत्र और उपकरण प्राप्त करने में सहायता करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी की जाती हैं। ये सहायक यंत्र/उपकरण दिव्यांगजनों की आर्थिक क्षमता को बढ़ाकर उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। योजना के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए भी इसी प्रकार के लक्षित प्रावधान मौजूद हैं, जिनमें—

1. एडिप-समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत विशेष आवश्यकता वाले स्कूली बच्चों को सहायक उपकरण वितरित किए जाते हैं जिसमें 40% दिव्यांगता होने पर भी बैटरी चालित मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल प्रदान की जाती है।
2. श्रवण बाधित बच्चों के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी सहित सर्जरी के बाद की थेरेपी और पुनर्वास के लिए निम्नलिखित अधिकतम सीमा तक सहायता प्रदान की जाती है:

 (i) पूर्व-भाषाई श्रवण हानि (प्री-लिंग्यूअल हियरिंग लॉस) वाले बच्चों (1-5 वर्ष) के लिए प्रति यूनिट ₹7.00 लाख तक; और

 (ii) अर्जित श्रवण हानि वाले बच्चों (5-18 वर्ष) के लिए प्रति यूनिट ₹6.00 लाख तक।

(ii) **दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस):** इस योजना के तहत, दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित विशेष स्कूलों/परियोजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सहायता-अनुदान प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें अपने इष्टतम शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक और सामाजिक कार्यात्मक स्तरों तक पहुंचने और उन्हें बनाए रखने में सक्षम बनाया जा सके तथा उनके कौशल का विकास और नियमित स्कूलों में उनके समावेशन के प्रयास किए जा सके।

(iii) **दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना**: विभाग द्वारा दिव्यांग छात्रों को कक्षा IX से पीएच.डी. स्तर तक विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग भी शामिल है। इन योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है।

(iv) **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा):** व्यापक 'सिपडा' योजना के अंतर्गत आने वाले प्रमुख घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. सुगम्य भारत अभियान (एआईसी): बाधा-मुक्त एवं सुगम्य वातावरण का सृजन करने के लिए।
2. दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी): रोजगार एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए।
3. विशिष्ट दिव्यांगता पहचान परियोजना (यूडीआईडी): राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए ।

4. क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (सीडीईआईसी): विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रारंभिक हस्तक्षेप एवं पुनर्वास को समर्थन के लिए।
5. जागरूकता सृजन और प्रचार (एजीपी): जागरूकता बढ़ाने तथा संबंधित हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए ।

(v) विभाग राष्ट्रीय न्यास, जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है, को बजटीय सहायता भी प्रदान करता है। यह निकाय देश भर में विशेष रूप से ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता, और बहु-दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित करता है।.

अनुबंध- I

	"एडीआईपी योजना" के संबंध में पूछे गए दिनांक 24.03.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5200 के भाग (क), (ग), (घ) और (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध		
	पिछले तीन वित्तीय वर्षों में एडिप योजना के अंतर्गत आयोजित शिविरों और लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार विवरण		
क्र.सं.	**राज्य**	**शिविरों की संख्या**	**लाभार्थियों की संख्या**
1.	अंडमान और निकोबार	9	373
2.	आंध्र प्रदेश	138	35302
3.	अरुणाचल प्रदेश	15	126
4.	असम	538	40428
5.	बिहार	310	42207
6.	चंडीगढ़	15	1366
7.	छत्तीसगढ	43	3453
8.	दिल्ली	143	11260
9.	गोवा	11	641
10.	गुजरात	297	50226
11.	हरियाणा	161	15872
12.	हिमाचल प्रदेश	80	5484
13.	जम्मू और कश्मीर	101	16662
14.	झारखंड	123	26823
15.	कर्नाटक	165	32362
16.	केरल	57	11103
17.	लद्दाख	6	544
18.	लक्षद्वीप	3	272

19.	मध्य प्रदेश	521	67546
20.	महाराष्ट्र	298	84592
21.	मणिपुर	42	1280
22.	मेघालय	77	3114
23.	मिजोरम	36	671
24.	नागालैंड	35	1018
25.	ओडिशा	345	36900
26.	पुदुचेरी	30	695
27.	पंजाब	165	27538
28.	राजस्थान	227	45412
29.	सिक्किम	20	146
30.	तमिलनाडु	206	26448
31.	तेलंगाना	303	22662
32.	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	21	737
33.	त्रिपुरा	156	6129
34.	उत्तर प्रदेश	859	140103
35.	उत्तराखंड	193	9196
36.	पश्चिम बंगाल	330	49165
	कुल	**6079**	**817856**
